प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

सं ले.प/हिन्दी कक्ष/ प्रो यो/2021-22/22-23

दिनांकः 06.6.2022

परिपत्र सं 17

वि-ायः हिन्दी में कार्य करने केलिए प्रोत्साहन योजना 2021-22

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का.ज्ञा. सं. 1/12013/3/87-रा.भा.वि(ए-2) दि.16-2-1988 के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है। तदनुसार सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी, निम्न दर्शाए दर पर प्रोत्साहन केलिए विचार किए जाने केलिए पात्र हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दी में करते हैं तथा वर्न में कम से कम दस हज़ार शब्द हिन्दी में लिखते हैं भाग लेने वाले कर्मचारियों को उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर, राजभाषा विभाग के पत्र सं. 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) दि.14.09.2016 के अनुसार निम्न दर पर नकद पुरस्कार दिए जाएंगे:-

पहला पुरस्कार (2 सं.) - प्रत्येक रू. 5000/-दूसरा पुरस्कार (3 सं.) - प्रत्येक रू. 3000/-तीसरा पुरस्कार (5 सं.) - प्रत्येक रू.2000/-

उपरोक्त योजना के अलावा, उन सभी अधिकारी/कर्मचारी जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दी में करते हैं तथा वर्न में कम से कम पांच हज़ार शब्द हिन्दी में लिखते हैं, के लिए कार्यालयांतर प्रोत्साहन योजना तहत विजेताओं को भी निम्नानुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

पहला पुरस्कार (1 सं.) - प्रत्येक रू. 1500/-दूसरा पुरस्कार (2 सं.) - प्रत्येक रू. 1000/-तीसरा पुरस्कार (3 सं.) - प्रत्येक रू.750/-

इस पुरस्कार के लिए, नवीनतम लेखापरीक्षा रिपोर्टों में प्रकाशित महत्वपूर्ण मुद्दों के अनुवाद भी नकद पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

प्रतिभागी को प्रतिदिन नीचे दिए गए प्रपत्र में उनके द्धारा हिंदी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखना चाहिए । प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रतिहस्ताक्षर करना चाहिए । व-ं के अंत में प्रत्येक प्रतिभागी को हिंदी में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा यथावत् प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर मूल्यांकन के लिए हिंदी कक्ष को प्रस्तुत करना चाहिए। मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर, पुरस्कार के मापदण्डों के अनुसार, योग्य उम्मीदवारों को नकद पुरस्कार मंजूर किए जाएंगे । अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने वर्ष 2021-22 में हिंदी में पर्याप्त कार्य किया है वे अपना अभिलेख 30-6-2022 तक हिन्दी कक्ष को प्रस्तुत करें।

ह. व. उप महालेखाकार (प्रशासन)

Office of the Principal Accountant General (Audit-I), Kerala, Thiruvananthapuram

No.Au/Hindi Cell/I-S/2021-22/2022-23

Circular No.17

Sub: Incentive Scheme for doing work in Hindi for the year 2021-22

According to the Government of India Ministry of Home Affairs, Dept.of Official Language OM No.11/12013/3/87-OL(A-2)Dt.16-2-1988, officials and employees who do their official work wholly or partly originally in Hindi and thus write <u>at least 10000 words</u> in Hindi in a year are eligible to be considered for the Incentive Scheme. Following cash awards will be given to the participants every year according to the work done by them as per Dept.of Official Language Letter No. 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) दि.14.09.2016:

First Prize (2 Nos) : Rs. 5000/- to each Second Prize (3 Nos) : Rs. 3000/- to each Third Prize (5 Nos) : Rs. 2000/- to each

Apart from the scheme stated above, under the In-House Incentive Scheme Officers/Employees who do their official work wholly or partly originally in Hindi and thus write <u>at least 5000 words</u> in Hindi in a year will be given cash awards as follows:

First Prize (1 Nos) : Rs. 1500/- to each Second Prize (2 Nos) : Rs. 1000/- to each Third Prize (3 Nos) : Rs. 750/- to each

For this award, translation of important audit paragraphs appeared in the latest Audit Reports will also be considered for cash awards.

The competitors should maintain a record of the words written by them every day in the Proforma enclosed herewith. Each week's record should be verified and countersigned by the Reporting Officer. At the end of the year, every competitor should submit the record of his/her work done in Hindi duly countersigned by the Reporting Officer to the Hindi Cell for assessment of the same. On the recommendation of the Assessment Committee, as per the criteria for awarding, cash awards will be sanctioned to the eligible candidates. Those who have done sufficient work in Hindi for the year 2021-22, may submit their applications to Hindi Cell by **30-6-2022**.

Sd/-Sr. Dy. Accountant General/Admn.

Dated: 06.6.2022

То

All Group Officers All sections

प्रपत्र / Proforma

श्री/श्रीमती/कुमारी	व	गी	को र	समाप्त	होने	वाले	सप्ताह र	में हिन्दी	के
मूल काम की सप्ताहिक	विवरणी								
Weekly statement	of the orig	ginal work	done	e in	Hind	i by	Shri/s	Smt/Kı	ım
for the week ending									

क्रम	तिथि	कुल फाइलों रजिस्टरों आदि	हिन्दी में लिखे गए टिप्पणी	हिन्दी में किए गए	और काम	रिपोर्टिंग अधिकारी
सं.		की संख्या जिन में हिन्दी में	और आलेखन के शब्दों की	Other items of	f works	के
Sl.	Date	काम किया गया	संख्या	done in Hindi	हस्ताक्षर (सप्ताह	
No		Total No. of files &	No. of words used in	संक्षिप्त ब्यौरा	शब्दों की	में एक बार)
		Registers wherein work	note/draft written in	Brief	संख्या	
		was done in Hindi	Hindi	description		
					No. of	Signature of
					words	Reporting
						Officer (once
						in a week)
1	2	3	4	5	6	7